भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

.....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1052
(3 दिसम्बर, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिवस

1052. श्री प्रभात झा :
श्रीमती कुसुम राय :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सूखा प्रभावित राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत 150 कार्य दिवस मुहैया कराने की घोषणा की है ;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;
(ग) इसके लिए अभी तक आबंटित और जारी की गई अतिरिक्त निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;
(घ) क्या मनरेगा के अंतर्गत बढ़ाए गए कार्य दिवस की यह योजना चालू वित्तीय वर्ष के लिए भी लागू है ; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रदीप जैन 'आदित्य')

(क) और (ख) : कुछ राज्यों में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के दौरान (2012) हुई कम बारिश को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किए गए तालुकों/ब्लॉकों में पंजीकृत परिवारों को वित्त वर्ष 2012-13 में मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार पूरा होने पर 50 दिनों तक का अतिरिक्त रोजगार मुहैया कराने के लिए (मनरेगा, 2005 की धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार) राज्य सरकारों को निधियां प्रदान करने का निर्णय लिया है।

(ग) से (ङ) : मनरेगा एक मांग आधारित कार्यक्रम है और जहां निधियों का कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटन नहीं किया जाता है । इस प्रकार श्रम मांग पद्धति और कार्यान्वयन करने वाले राज्यों के प्रस्तावों के आधार पर सूखे की वजह से उत्पन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों को निधियों का केंद्रीय अंश रिलीज किया जाएगा ।

*****